



2026: AHC- LKO: 11724-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या- 534 वर्ष 1995

राम फेरन एवं अन्य

...अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी

याचिकार्ता के अधिवक्ता : एच.पी. पाठक, एम. पी. यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं.- 10

08.01.2026 को सुरक्षित

16.02.2026 को पारित

एएफआर

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार

माननीय न्यायमूर्ति जफर अहमद

(द्वारा: रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति)

(1) श्री एम.पी. यादव, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित श्री पवन कुमार मिश्र, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

(2) यह आपराधिक अपील, सत्र परीक्षण संख्या 498/1994 (राज्य बनाम राम फेरन एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 29/1994, धारा 498-क/304-ख/302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हरैया, जनपद गोंडा से संबंधित है, में सत्र न्यायाधीश, गोंडा द्वारा दिनांक 25.08.1995 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा प्रत्येक को धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं धारा 498-क के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का आदेश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे।

(3) अभियोजन की संक्षिप्त कहानी यह है कि मोती लाल की पुत्री श्रीमती मीना देवी का विवाह वर्ष 1989 में अपीलार्थी संख्या-2 मनशा राम, निवासी ग्राम सोनपुर, थाना हरैया, जनपद गोंडा के साथ हुआ था। अभियुक्त राम फेरन, अभियुक्ता श्रीमती महारानी का पति है। वे दोनों मृतका के क्रमशः ससुर एवं सास हैं। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तगण मृतका से दहेज के रूप में ₹1000/- की मांग करते थे तथा उक्त मांग पूरी न किए जाने के कारण उसके साथ क्रूरता एवं उत्पीड़न करते थे। यह भी अभियोजन का कथन है कि मृतका के भाई का विवाह दिनांक 23.06.1994 को निर्धारित था, जिसके कारण उसका भाई रामचन्द्र दिनांक 19.06.1994 को उसे विदा कराने उसके ससुराल गया था। तथापि, मृतका को उसके भाई रामचन्द्र के साथ विदा नहीं किया गया और उसे बिना मृतका के ही वापस लौटने के लिए विवश कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि ₹1000/- की दहेज राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उसकी बहन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 19.06.1994 एवं 20.06.1994 की मध्यरात्रि में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अपीलार्थियों द्वारा मृतका को जला दिया गया। इस संबंध में मृतका के पिता मोती लाल द्वारा दिनांक 20.06.1994 को लगभग सायं 4:45 बजे थाना हरैया में लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई तथा समस्त तीनों अभियुक्तों/अपीलार्थियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-29/1994, धारा 498-क/304-ख भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जिसकी जनरल डायरी में भी प्रविष्टि की गई, जिसकी प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है।

(4) अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि मोती लाल द्वारा दिनांक 20.06.1994 को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से पूर्व अभियुक्त/अपीलार्थी राम फेरन ने दिनांक 20.06.1994 को प्रातः लगभग 8:05 बजे थाना हरैया में एक लिखित सूचना दी थी, जिसमें उसने अपनी पुत्रवधू की जलने से मृत्यु होने की सूचना दी थी। उक्त सूचना जनरल डायरी के अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रमांक-10 पर अंकित की गई, जिसकी प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त सूचना के आधार पर अपराह्न 2:00 बजे मृतका के शव का पंचायतनामा सम्पन्न किया गया। तत्पश्चात शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया, जो दिनांक 22.06.1994 को लगभग अपराह्न 1:00 बजे जिला चिकित्सालय, गोंडा के शवगृह में संपन्न हुआ। विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, ढिबरी को अपने कब्जे में लिया गया, नक्शा-लाश तैयार किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 16.09.1994 को समस्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क, 304-ख एवं 201 के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय ने समस्त अभियुक्तों अर्थात् अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख, 498-क तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए, जिन्हें अभियुक्तों ने अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा विचारण की मांग की।

(5) अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने पी.डब्ल्यू.-1 मोती लाल, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के सूचक एवं मृतका के पिता हैं, पी.डब्ल्यू.-2 रामचन्द्र, जो मृतका के भाई हैं, पी.डब्ल्यू.-3 पवन कुमार, पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. अशोक कुमार, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, पी.डब्ल्यू.-5 कांस्टेबल मिश्री लाल, जिन्होंने शव को शव परीक्षण हेतु ले जाया था, पी.डब्ल्यू.-6 उपनिरीक्षक आर.के. चौधरी, जिन्होंने पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न की थी, पी.डब्ल्यू.-7 प्रदीप कुमार, जो इस प्रकरण के विवेचक थे तथा पी.डब्ल्यू.-8 मुख्य आरक्षी राम सेवक, जिनका परीक्षण राम फेरन द्वारा दी गई सूचना को सिद्ध करने हेतु किया गया, को साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया। अभियोजन ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए तथा उन्हें विधिवत सिद्ध कराया।

(6) तत्पश्चात अभियुक्तों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। उनका कथन था कि विवाह लगभग नौ वर्ष पूर्व हुआ था तथा बाह्य कारणों से प्रभावित होकर गलत शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी। अभियुक्त राम फेरन ने यह भी कहा कि घटना के समय उसकी पत्नी श्रीमती महारानी तथा उसका पुत्र मनशा राम, जो मृतका का पति है, घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे, बल्कि वे घटना-स्थल से लगभग ढाई किलोमीटर दूर स्थित अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ग्राम पदम चक्की में थे। उसने यह भी कहा कि घटना के समय केवल वही घर पर उपस्थित था और घर के द्वार से लगभग 250 कसीस की दूरी पर सो रहा था। जब मृतका में आग लगी और उसने शोर मचाया, तब ग्रामवासी, विशेष रूप से महिलाएँ, वहाँ एकत्र हो गईं। तथापि, उसने यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश नहीं किया कि मृतका उसकी पुत्रवधू थी। अभियुक्त अपीलार्थी मनशा राम तथा उसकी माता श्रीमती महारानी ने भी घटनास्थल पर अपनी अनुपस्थिति का यही प्रतिरक्षा कथन किया। प्रतिरक्षा पक्ष ने विशेष रूप से यह सिद्ध करने के उद्देश्य से कि घटना के समय अपीलार्थी श्रीमती महारानी एवं मनशा राम घर पर उपस्थित नहीं थे, डी.डब्ल्यू.-1 रामेश्वर प्रसाद तथा डी.डब्ल्यू.-2 कृष्ण मोहन को साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया।

(7) तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अन्य सामग्री का परीक्षण करने के उपरांत यह पाते हुए कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं, अपीलार्थियों को उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। तथापि, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया। इसी निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

(8) अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या-1 एवं 3 का निधन हो गया। फलस्वरूप, उनके संबंध में यह अपील उपशमित हो गई। वर्तमान में यह अपील केवल अपीलार्थी संख्या-2 की ओर से विचारणीय है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

(10) यह निर्विवाद है कि लगभग 18 वर्ष की आयु की युवती मीना देवी, जिसका विवाह अभियुक्त मनशा राम के साथ हुआ था, की मृत्यु दिनांक 19/20.06.1994 की मध्यरात्रि में ग्राम सोनपुर स्थित अपीलार्थियों (अभियुक्तों) के घर के भीतर अत्यधिक जल जाने के कारण हुई। मृतका के ससुर, जो अपीलार्थी मनशा राम के पिता हैं, ने दिनांक 20.06.1994 को प्रातः 8:05 बजे एक लिखित सूचना (प्रदर्श क-16) प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया कि दिनांक 19.06.1994 को उसके छोटे भाई कामता प्रसाद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था और उसी उपलक्ष्य में परिवार की महिलाएँ वाद्ययंत्र बजाकर गीत गा रही थीं। उसने यह भी सूचित किया अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि वह स्वयं, उसका भाई कामता प्रसाद तथा उसका पुत्र मनशा राम घर के बाहर सो रहे थे। गीत-संगीत समाप्त होने के उपरांत उसकी पुत्रवधू, जो मनशा राम की पत्नी थी, हाथ में काँच की जलती हुई ढिबरी लेकर सोने के लिए जा रही थी। जब वह दरवाजे के निकट पहुँची, तभी ढिबरी की लौ से उसकी टेरीकॉट की साड़ी में आग लग गई और वह जलने लगी। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर वे सभी तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े। तब तक उसकी पुत्रवधू गंभीर रूप से जल चुकी थी और अचेत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, किन्तु तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह घटना दिनांक 19/20.06.1994 की मध्यरात्रि लगभग 1:00 बजे घटित हुई। रात्रि में कोई व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उसने राजकुमार मिश्र के पुत्र त्रिवेणी उर्फ तेजा तथा रामसूरत तिवारी के पुत्र कृष्ण मोहन तिवारी को मृतका के मायके सूचना देने हेतु भेजा तथा तत्पश्चात स्वयं सूचना देने के लिए थाना पहुँचा।

(11) उपर्युक्त तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि घटना के समय, जिसमें मृतका की जलने से मृत्यु हुई, अपीलार्थी घटनास्थल पर उपस्थित थे। तथापि, विचारण के दौरान उन्होंने यह प्रतिरक्षा कथन लिया कि घटनास्थल पर केवल परिवादी राम फेरन ही उपस्थित था, जबकि मृतका का पति मनशा राम तथा उसकी माता अर्थात् परिवादी की पत्नी श्रीमती महारानी वहाँ उपस्थित नहीं थीं और वे ग्राम पदम चक्की गई हुई थीं। इस प्रतिरक्षा को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथनों में यह तथ्य प्रस्तुत किया तथा प्रतिरक्षा पक्ष के दो साक्षियों को भी परीक्षित कराया।

(12) डी.डब्ल्यू.-1 रामेश्वर प्रसाद ने अपने कथन में कहा कि रात्रि लगभग 12:30 बजे उसने आग लगने का शोर सुना, जिसके बाद वह मनशा राम के घर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि मनशा राम की पत्नी जल रही थी तथा उपस्थित लोग रूई एवं कपड़ों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय मनशा राम तथा महारानी घर पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे ग्राम पदम चक्की गए हुए थे, जो ग्राम सोनपुर से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसने यह भी कहा कि राम फेरन अपने घर से लगभग 250-300 कदम दक्षिण दिशा में था। उसके अनुसार मनशा राम एवं महारानी को सूचना दिए जाने के पश्चात वे प्रातः वापस लौटे। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि अपीलार्थियों ने दहेज की मांग को लेकर मृतका की हत्या की थी।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(13) डी.डब्ल्यू.-2 कृष्ण मोहन ने भी अपने कथन में कहा कि लगभग एक वर्ष दो माह पूर्व रात्रि लगभग 12:00 से 1:00 बजे के बीच उसने यह शोर सुना कि राम फेरन के घर में आग लगी हुई है। वह तत्काल वहाँ पहुँचा और देखा कि राम फेरन की पुत्रवधू जल रही थी तथा जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचा था, वह आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। उसके अनुसार उस समय मनशा राम एवं महारानी घर पर उपस्थित नहीं थे। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वे ग्राम पदम चक्की गए हुए थे, जो ग्राम सोनपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिरह के दौरान उसने यह स्वीकार किया कि उसकी राम फेरन के साथ निकटता है।

(14) डी.डब्ल्यू.-1 एवं डी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य, परिवादी अर्थात् अपीलार्थी राम फेरन द्वारा दिनांक 20.06.1994 को प्रातः 8:05 बजे थाना हरैया, जनपद गोंडा में दी गई सूचना (प्रदर्श क-16) के प्रतिकूल है, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया था कि वह अपने पुत्र मनशा राम तथा भाई कामता प्रसाद के साथ घर के बाहर सो रहा था। अतः अपीलार्थियों द्वारा लिया गया अलिबी (अन्यत्र उपस्थित होने) का प्रतिरक्षा कथन पश्चात्विचारित प्रतीत होता है और डी.डब्ल्यू.-1 तथा डी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं हैं।

(15) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अन्य सामग्री पर विचार करने के उपरांत यह अभिलिखित किया कि घटनास्थल पर अनुपस्थिति के प्रतिरक्षा कथन का कठोर एवं विश्वसनीय प्रमाण अपेक्षित था, जिसे प्रतिरक्षा पक्ष सिद्ध करने में असफल रहा। डी.डब्ल्यू.-1 एवं डी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य पर विश्वास करना न्यायालय ने उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने ऐसा तथ्य स्थापित करने का प्रयास किया जो स्वयं अभियुक्त राम फेरन द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति कथन के प्रतिकूल था। राम फेरन ने स्वयं घटना के समय अपनी उपस्थिति स्वीकार की थी। इसी प्रकार अभियुक्ता श्रीमती महारानी द्वारा लिया गया अलिबी का प्रतिरक्षा कथन भी सिद्ध नहीं हो सका और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस न्यायालय की भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त उक्त निष्कर्ष से पूर्ण सहमति है। अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था तथा उपलब्ध परिस्थितियों में क्या अपीलार्थी ही इस अपराध के कर्ता थे।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(16) पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में परीक्षित डॉ. अशोक कुमार ने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) को सिद्ध किया। उन्होंने अपने परीक्षण में पाया कि कैरोटिड धमनियों की भीतरी एवं मध्य परतें फटी हुई थीं तथा उनकी दीवारों के भीतर रक्त का रिसाव पाया गया। हायाँड अस्थि का बायाँ कॉर्नू टूटा हुआ था। शव लगभग 18 वर्ष की औसत शारीरिक बनावट एवं मांसलता वाली युवती का था। उसकी दोनों आँखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं तथा मुख अर्ध-खुला हुआ था। दोनों पैर एवं दोनों तलवों को छोड़कर सम्पूर्ण शरीर जला हुआ था। सिर के बाल भी झुलसे हुए थे। शव तथा वस्त्रों से मिट्टी के तेल (केरोसिन) की गंध आ रही थी। पेट फट चुका था तथा उदर के भीतरी अंग बाहर निकल आए थे। शव पर छोटे एवं मध्यम आकार के कीड़े पाए गए। शरीर पर कहीं-कहीं फफोले भी पाए गए, जिनमें केवल वायु भरी हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें पाई गईं—

"चेहरा, सिर, गर्दन, धड़, दोनों ऊपरी एवं निचले अंग तथा पेरिनियम तक का भाग, दोनों पैरों एवं दोनों तलवों को छोड़कर, मृत्यु उपरांत जलने से प्रभावित था। कहीं भी लालिमा नहीं थी। स्थान-स्थान पर ऐसे फफोले पाए गए जिनमें केवल वायु भरी हुई थी तथा उनका आधार कठोर, शुष्क एवं पीले रंग का था। शरीर में किसी प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया के चिन्ह नहीं पाए गए। शव परीक्षण रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि कंठ की श्लेष्मिक झिल्ली में अत्यधिक संकुलन था। श्वासनली अथवा श्वसनी में कालिख के कोई कण नहीं पाए गए। दोनों फेफड़े अत्यधिक संकुलित पाए गए, जिनमें सूक्ष्म रक्तस्राव विद्यमान था तथा काटने पर उनमें से गाढ़ा द्रव रक्त निकल रहा था। फेफड़ों की सतह पर वातस्फीति के चिन्ह भी पाए गए। चिकित्सक के अनुसार मृत्यु का कारण गला दबाए जाने से उत्पन्न श्वासावरोध था।"

(17) चिकित्सक ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि मृतका की मृत्यु दिनांक 19/20.06.1994 की रात्रि में हुई थी। उन्होंने अपने कथन में कहा कि उन्होंने अपने सहकर्मी डॉ. पी.के. अग्रवाल के साथ शव परीक्षण किया था और दोनों का मत था कि मृतका की मृत्यु पहले गला दबाने से हुई तथा उसके पश्चात शव को जलाया गया। चूँकि यह निष्कर्ष पंचायतनामा रिपोर्ट में वर्णित कारण से भिन्न था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में दिनांक 22.06.1994 को पुलिस अधीक्षक को एक पत्र प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में उन्होंने एवं उनके सहकर्मी डॉ. पी.के. अग्रवाल ने शव परीक्षण संपन्न किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित उक्त पत्र को प्रदर्श क-3 के रूप में अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिद्ध किया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस पत्र पर अंकित रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में सिद्ध किया। जिरह के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में जलता है, तो श्वास लेने के कारण कार्बन के सूक्ष्म कण अनिवार्य रूप से श्वासनली में पहुँचते हैं, जिन्हें 'कालिख के कण' कहा जाता है। वर्तमान प्रकरण में श्वासनली के भीतर कालिख के कण नहीं पाए गए, बल्कि उसका भीतरी भाग संकुलित था, जो उनके मतानुसार गला दबाने से हुई मृत्यु का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि फेफड़ों में रक्त का जमाव आग लगने के कारण नहीं हुआ था, क्योंकि कालिख के कण भीतर नहीं पहुँचे थे। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि हायाँड अस्थि टूटी हुई थी तथा केवल जलने के समय दबाव पड़ने से हायाँड अस्थि का फ्रैक्चर नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि मृतका का शव लगभग 90 प्रतिशत तक जल चुका था। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मृतका की मृत्यु उसे जलाए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी।

(18) उपर्युक्त साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि पहले मृतका की हत्या की गई तथा उसके पश्चात उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी गई, जिससे घटना को आत्महत्या का स्वरूप प्रदान किया जा सके।

(19) पी.डब्ल्यू.-1, अर्थात् परिवादी ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थीगण दहेज के रूप में ₹1000/- की मांग करते थे। चूँकि वह उक्त राशि देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वे उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे तथा उसे भोजन भी नहीं देते थे। उसने यह भी कहा कि उसके पुत्र शिव दयाल का विवाह दिनांक 23.06.1994 को निर्धारित था, इसलिए उसने दिनांक 19.06.1994 को अपने दूसरे पुत्र रामचन्द्र को अपनी पुत्री को आमंत्रित कर घर लाने के लिए भेजा था, किन्तु अपीलार्थियों द्वारा ₹1000/- की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसे विदा नहीं किया गया। उसने अपने द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी सिद्ध किया। उसने आगे कहा कि अगले दिन जब वह अपनी पुत्री के ससुराल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे उसकी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। इसके बाद वह अपनी पुत्री के ससुराल पहुँचा, जहाँ उसने उसका शव देखा तथा उसे यह भी ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। इसके उपरांत उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु लिखित तहरीर, पत्र संख्या 4/2 प्रस्तुत की, जिसे उसने प्रदर्श क-1 के रूप में सिद्ध किया। जिरह के दौरान उसने कहा कि उसकी पुत्री के कमरे में उसे उसकी पुत्री के वस्त्रों के अतिरिक्त कोई अन्य जला हुआ सामान अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं मिला। उसकी पुत्री का चेहरा भी जला हुआ था। उसकी साड़ी के अतिरिक्त छह-सात अन्य साड़ियाँ भी जली हुई पाई गईं। शव उस चारपाई के निकट पड़ा था, जिस पर उसकी पुत्री सोती थी। उसने इस सुझाव का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि उसकी पुत्री की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी।

(20) पी.डब्ल्यू.-2 रामचन्द्र, जो मृतका का भाई है, ने भी अपने कथन में कहा कि अपीलार्थीगण ₹1000/- की दहेज राशि की मांग करते थे। उसने यह भी कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके पिता ने उक्त राशि दी थी अथवा नहीं। उसने आगे कहा कि उसके भाई का विवाह जून, 1994 में निर्धारित था, इसलिए वह दिनांक 19.06.1994 को अपनी बहन को विदा कराने गया था, किन्तु ₹1000/- की राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उसे विदा नहीं किया गया। उसने यह भी कहा कि उसे स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि यदि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उसकी बहन का जीवन संकट में पड़ जाएगा। उसने अपनी बहन मीना से भी भेंट की थी, जिसने उसे बताया कि अपीलार्थीगण धनराशि के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं और यदि धनराशि नहीं दी गई, तो उसकी जान को खतरा है। उसने यह भी बताया कि उसे भोजन तक नहीं दिया जाता था। उसने अपनी बहन को विदा करने का अनुरोध किया, किन्तु अपीलार्थियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक उसे विदा नहीं किया जाएगा। दिनांक 20.06.1994 को उसे अपनी बहन की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। जिरह के दौरान उसकी साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य अभिलक्षित नहीं हुआ जिससे उसके कथन की सत्यता अथवा विश्वसनीयता पर कोई संदेह उत्पन्न हो सके। अन्य सभी साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण, पंचायतनामा, शव को शव परीक्षण हेतु भेजे जाने तथा विवेचना संबंधी कार्यवाहियों को सिद्ध किया और उनकी साक्ष्य से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे उनकी विश्वसनीयता पर किंचित मात्र भी संदेह किया जा सके।

(21) विद्वान विचारण न्यायालय ने शव परीक्षण रिपोर्ट तथा पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. अशोक कुमार की साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि सर्वप्रथम मृतका का गला दबाकर उसकी हत्या की गई और तत्पश्चात साक्ष्य को छिपाने तथा घटना को भिन्न स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी गई। केवल हायाँड अस्थि का फ्रैक्चर ही नहीं पाया गया, बल्कि श्वासनली एवं श्वसनी में कालिख के कण भी नहीं पाए गए, जबकि शव से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी तथा जलने से उत्पन्न धावों में लालिमा का पूर्ण अभाव था। शव परीक्षण रिपोर्ट में वर्णित अन्य अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चिकित्सीय लक्षणों के साथ इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि शरीर पर पाए गए जलने के घाव मृत्यु के पश्चात के थे तथा मृतका की मृत्यु पहले ही गला दबाए जाने के कारण हो चुकी थी।

(22) उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त तीनों अभियुक्तों अर्थात् अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व उसके ससुर, पति एवं सास द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया तथा उन सभी ने समान आशय से मृतका श्रीमती मीना की गला दबाकर हत्या की और तत्पश्चात उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। फलस्वरूप, उन्हें उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत लगाए गए आरोप सिद्ध न होने के कारण अपीलार्थियों को उन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। निर्णय का उक्त भाग न तो राज्य द्वारा और न ही परिवादी द्वारा किसी प्रकार से चुनौती दिया गया है।

(23) यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों तथा उनसे निकाले गए परिणाम से पूर्णतः सहमत है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अन्य सामग्री पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरांत यह न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व निरंतर प्रताड़ित किया जाता था तथा उसे भोजन तक नहीं दिया जाता था। उसकी गला दबाकर हत्या की गई और उस पर की गई क्रूरता के परिणामस्वरूप उसकी हायाँड़ अस्थि भी भंग हो गई। तत्पश्चात घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने के उद्देश्य से उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी गई।

(24) वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण, **शरद बिर्धीचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1984) 4 एस.सी.सी. 116** में प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पाँच स्वर्णिम सिद्धान्तों की कसौटी पर करने से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय उपस्थित अपीलार्थी ही इस अपराध के कर्ता हो सकते थे। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मृतका के पति एवं सास के संबंध में लिया गया अलिबी (अन्यत्र उपस्थित होने) का प्रतिरक्षा कथन, जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है, सिद्ध नहीं हो सका। शरद बिर्धीचंद सरडा (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद 153 एवं 154 निम्नवत् उद्धृत हैं—

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"153. इस निर्णय के सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः सिद्ध माना जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

(1) जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने यह कहा है कि वे परिस्थितियाँ 'स्थापित होनी चाहिए', न कि केवल 'स्थापित हो सकती हैं'। सिद्ध किया जा सकता है तथा 'सिद्ध किया जाना चाहिए' अथवा 'सिद्ध किया ही जाना चाहिए' के मध्य केवल व्याकरणिक ही नहीं, बल्कि विधिक दृष्टि से भी स्पष्ट अंतर है।, अपितु विधिक दृष्टि से भी स्पष्ट अंतर है। इस सिद्धान्त को इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में स्वीकार करते हुए कहा था—

'निश्चित रूप से यह मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व उसका दोषी होना केवल सम्भावित नहीं, बल्कि निश्चित होना चाहिए। सिद्ध किया जा सकता है' और 'अनिवार्य रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए' के मध्य की वैचारिक दूरी अत्यन्त व्यापक है। तथा यही अस्पष्ट अनुमान और सुनिश्चित निष्कर्ष के बीच विभाजन रेखा है।'

(2) स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप ही हों; अर्थात् उनका कोई अन्य युक्तिसंगत स्पष्टीकरण संभव न हो।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक एवं निष्कर्षात्मक प्रकृति की हों।

(4) वे प्रत्येक अन्य संभावित परिकल्पना को, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है, पूर्णतः निष्कासित करती हों।

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि उससे अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप कोई युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे तथा समस्त मानवीय संभावनाओं के आधार पर यही निष्कर्ष निकले कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

154. यदि ऐसा कहा जाए, तो ये पाँच स्वर्णिम सिद्धान्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन के प्रमाण का 'पंचशील' हैं।"

(25) उपर्युक्त सिद्धान्तों का अनुसरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अनवर अली**

एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 10 एस.सी.सी. 166 में भी किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(26) उपर्युक्त स्वर्णिम सिद्धान्त आज भी पूर्णतः प्रभावी हैं। यदि किसी वाद का परीक्षण इन सिद्धान्तों की कसौटी पर विधिवत् किया जाए तथा उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएँ, तो उन निष्कर्षों की शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें विधि अथवा तथ्यों के प्रतिकूल अथवा विकृत कहा जा सकता है।

(27) उपर्युक्त विवेचना तथा वाद के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, अवैधता अथवा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाता।

(28) विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थियों को आजीवन कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत प्रत्येक को एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभियुक्त पर ₹1000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का आदेश दिया गया है। इस न्यायालय को अपीलार्थियों पर अधिरोपित दण्ड एवं अर्थदण्ड में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा अवैधता परिलक्षित नहीं होती। तथापि, अपीलार्थी संख्या-1 राम फेरन तथा अपीलार्थी संख्या-3 श्रीमती महारानी का निधन हो चुका है। फलस्वरूप, उनके संबंध में यह अपील पूर्व में ही उपशमित हो चुकी है।

(29) अपीलार्थी संख्या-1 को शासनादेश संख्या 1951/22-2-2000-18(75)/2000, दिनांक 11.08.2000 के अनुपालन में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तथा तीन वर्ष का कारावास, परिहार सहित, पूर्ण कर लेने के उपरांत दिनांक 08.09.2000 को रिहा कर दिया गया था। अपीलार्थी संख्या-2 मनशा राम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदत्त परिहार के अनुसरण में शासनादेश संख्या 1014/22-2-2019-17(519)/2019, दिनांक 15.02.2019 तथा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या 82/परिवीक्षा-6/144, दिनांक 20.02.2019 के अनुपालन में दिनांक 22.02.2019 को रिहा कर दिया गया। अपीलार्थी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत अपील पूर्व में ही उपशमित हो चुकी है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(30) अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल द्वारा परिहार प्रदान किए जाने के उपरांत अपीलार्थी संख्या-2 को शेष दण्डावधि भोगने के लिए पुनः कारागार भेजा जाना अपेक्षित है अथवा नहीं।

(31) इस न्यायालय का मत है कि अपीलार्थियों को उनके द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप पर्याप्त एवं समुचित दण्ड प्रदान किया गया था। तथापि, अपीलार्थी संख्या-2 को 24 वर्ष 6 माह 5 दिन का वास्तविक कारावास तथा परिहार सहित 29 वर्ष 11 माह 15 दिन की दण्डावधि पूर्ण करने के उपरांत परिहार के आधार पर रिहा किया जा चुका है। अतः उसे शेष दण्डावधि भोगने हेतु आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि को यथावत् रखते हुए अपील का निराकरण तथा दण्डादेश की पुष्टि किए जाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन माननीय राज्यपाल द्वारा पारित परिहार आदेश किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता। तथापि, इससे इस न्यायालय की अपील का निर्णय करने तथा दोषसिद्धि एवं दण्ड के संबंध में निर्णय देने की शक्ति किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती।

(32) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम श्रीहरन; 2016 (7) एस.सी.सी. 1** में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161 के अधीन प्रदत्त परिहार, दण्ड-परिवर्तन, दण्ड-स्थगन आदि का दावा करने का अधिकार एक संवैधानिक उपचार है, जो न्यायालय की अधिकारिता से अप्रभावित एवं अछूता रहता है।

(33) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; (2022) 19 एस.सी.सी. 469** में, जहाँ अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा परिहार प्रदान कर रिहा कर दिया गया था तथा उसकी दोषसिद्धि को यथावत् रखा गया, यह अभिनिर्धारित किया कि अपील की खारिजी का राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त परिहार की शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले किसी भी विधि के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को परिहार प्रदान करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद 11 निम्नवत् उद्धृत है—

"कार्यालयीय प्रतिवेदन तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिरक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार यह प्रतीत होता है कि दिनांक 07.09.2019 को अपीलार्थी 15 वर्ष 9 माह 27 दिन का कारावास भोग लेने के उपरांत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन रिहा अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर दिया गया था। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपील की खारिजी का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परिहार की शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(34) उपर्युक्त विवेचना तथा वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह अपील **निरस्त** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं अधिरोपित दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। तथापि, चूँकि अपीलार्थी संख्या-2 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदत्त परिहार के आधार पर रिहा किया जा चुका है, अतः उसे शेष दण्डावधि भोगने के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

(35) इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित तत्काल तथा किसी भी दशा में आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(जफर अहमद, न्यायमूर्ति) (रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति)

आदेश दिनांक- 16.02.2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।